प्रेस नोट

1. भारत निर्वाचन आयोग द्वारा 01.01.2019 की अर्हता तिथि के आधार पर फोटो निर्वाचक नामावली के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण का प्रारूप प्रकाशन आज दिनांक 26.12.2018 को राज्य के समस्त 230 विधानसभा क्षेत्रों पर किया गया है। कार्यक्रम अनुसार दिनांक 26.12. 2018 से 25.01.2019 तक अभिहीत स्थानों पर दावे–आपत्तियाँ प्राप्त की जायेगी। इस दौरान बीएलओ समस्त मतदान केन्द्रों पर उपस्थित रहेंगे।
2. मतदान केन्द्रों के युक्तियुक्तकरण के दौरान 274 नवीन मतदान केन्द्र बनाए गए एवं 332 मतदान केन्द्रों को मर्ज किया गया। इस प्रकार वर्तमान में कुल मतदान केन्द्र 65283 हो गए है। वर्तमान प्रारूप निर्वाचक नामावली में 5,04,33,079 मतदाता है जिसमें 2,63,01,300 पुरूष मतदाता, 2,41,30,390 महिला मतदाता एवं 1,389 तृतीय लिंग मतदाता दर्ज है।
3. भारत निर्वाचन आयोग द्वारा सेवा निर्वाचकों से संबंधित निर्वाचक नामावली अंतिम भाग के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण 2019 का कार्यक्रम जारी किया है। सेवा निर्वाचकों की नामावली में छुटे हुये नाम सम्मिलित करने, निरसन का कार्य प्रारूप प्रकाशन दिनांक 26.12.2018 से प्रारंभ हो गया है। प्रारूप प्रकाशन में सेवा निर्वाचकों की संख्या 62,889 है जिसमें पुरूष 61,772 एवं महिला 1,117 है। आवेदनकर्ताओं के आवेदनों को रिकार्ड ऑफिसर/कमान्डेड/संबंधित प्राधिकारी आनलाईन पद्धति से भेजते है। यह आवेदन 26. 12.2018 से 25.01.2019 तक आनलाईन प्राप्त किये जायेंगे। ईआरओ द्वारा इनका निराकरण 18.02.2019 तक किया जाकर दिनांक 22.02.2019 को अंतिम प्रकाशन किया जावेगा।
4. दिनांक 01.01.2019 को 18 वर्ष की आयु पूर्ण करने वाले सभी पात्र नागरिकों का नाम निर्वाचक नामावली में शामिल किया जायेगा। दिनांक 26.12.2018 से 25.01.2019 तक प्राप्त समस्त दावे–आपत्तियों का निराकरण दिनांक 11.02.2019 तक किया जाकर निर्वाचक नामावली का अंतिम प्रकाशन दिनांक 22.02.2019 को किया जावेगा।
5. निर्वाचक नामावली की सीडी (फोटो रहित) राशि रूपये 100/– प्रति विधानसभा क्षेत्र का भुगतान कर संबंधित जिले के जिला निर्वाचन कार्यालय एवं मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय से प्राप्त कर सकते है। नामावली की फोटो सहित मुद्रित प्रति जिला निर्वाचन कार्यालय एवं निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के कार्यालय में नियमानुसार सशुल्क उपलब्ध है।
6. भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार दिनांक 26.12.2018 के उपरांत बिना निर्वाचन आयोग की अनुमति के निर्वाचन से जुड़े अधिकारियों जैसे – जिला निर्वाचन अधिकारी, निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी, सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी आदि का स्थानांतरण राज्य शासन के द्वारा नहीं किया जा सकेगा।